न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 174/2012

वादीया :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. सुवटी (फौत) पत्नी चौथाराम जाति-रेगर, निवासी-डिगरना तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		1. भाण पुत्र चौथा 2. सीताराम पुत्र चौथा जातियान-रेगर,निवासी-डिगरना, तहसील-जैतारण जिला-पाली 3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.13/09/2012

उपस्थितः. 1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री महेन्द्र कुमार गुर्रा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 10/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व मौजा-डिगरना, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में खसरा नंबर 800/16 रकबा 7 बीघा 5 बीस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई हैं। नकल जमाबंदी की साथ पेश की जा रही हैं जिसे दावें का एक भाग माना जावें। उक्त वर्णित विवादित आराजी वादीया के पति चौथा वल्द मूला के नाम थी। उस पर अपने जीवन काल में उन्होनें ही काश्त की थी। उनकी मृत्यु के पश्चात भाण पुत्र चौथा प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीया का बडा बेटा हैं। जिसके नाम दर्ज हो गई जो कि एक रोंग एन्ट्री हैं। विवादित जमीन हिन्दू संयुक्त परिवार मुर्स्तका खानदान की अविभाजित आराजी हैं, जिसे अपने नाम करवाने का वादीया को पूरा पूरा कानूनी रुप से अधिकार हैं। इसलिये यह दावा घोषणा विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। यदि अपने गलत नाम के इन्द्राज पर संख्या एक प्रतिवादी संख्या एक उक्त भूमि को रहन, बेचान, वसीयत बख्शीश आदि कर देता तो वादीया को असीम क्षति होगी तथा वादीया को विभिन्न प्रकार के दिवानी व फौजदारी मुकदमें अपने साम्पैतिक अधिकारों के लिये करने पडेगें। जिससे वादीया जैर बार हो जायेगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी। इसलिये बिना बटवाडा करवाये उक्त भूमि बैचने का प्रतिवादी संख्या एक का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। इसलिये यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश किया हैं प्रतिवादी संख्या तीन राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिनके विरुद्ध दावा करने के पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना जरुरी होता हैं। लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति को होने के कारण बिना नोटिस दिये ही न्यायालय की अनुमति लेकर यह वाद पत्र पेश किया जा रहा हैं। अनुमति के 80(2) सीपीसी अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं तथा बाद अनुमति वाद पत्र पेश है। प्रतिवादी संख्या 2 को वादपत्र पेश करने का कहां लेकिन मना करने पर इनको प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया हैं। बिनाय दावा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

दिनांक 11/09/2012 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को रहन ,बैचान ,वसीयत ,बक्शीश करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम डिगरना पैदार हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगरना में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीने प्रार्थना पत्र पेश किया कि वादीया फौत होने से उनके मात्र दो ही बेटे हैं, जो पहले से पक्षकार हैं। वादीया युवटी के का0मु0 प्रति0 संख्या 2 सीताराम को बनाने का न्यायहित में आदेश प्रदान करावें।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र तथा संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रति0 संख्या 2 को वादीया का का0मु0 बनाने बाबत् चूँकि प्रति0 पहले से रेकर्ड पर हैं तथा वादीया के किसी एक वारिस को ही का0मु0 नहीं बनाया जा सकता हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। वाद-पत्र में उक्त विवादित भूमि का पैतृक होना जाहिर किया हैं। इसके संबंध में कोई ठोस दस्तावेज / सबूत पेश नहीं किया हैं। वादीया फौत हो चुकी हैं। वादीया का वाद पूर्ण दस्तावेज के अभाव व आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादीया का वाद पूर्ण दस्तावेज के अभाव व आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगरना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीया :- बनाम प्रतिवादी :-

1. सुवटी (फौत) पत्नी चौथाराम
जाति-रेगर, निवासी-डिगरना
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. भाण पुत्र चौथा
2. सीताराम पुत्र चौथा
जातियान-रेगर, निवासी-डिगरना,
तहसील-जैतारण जिला-पाली
3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
अधिकारी जैतारण,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:234/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-......... व हाजरी श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्र कुमार गुर्रा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद पूर्ण दस्तावेज के अभाव व आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	–		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	07	00	मिजानः-	02	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner